पत्र संख्या–3/स्था०(6)35/2026–..................../

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुभाष नारायण,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास,
बिहार, पटना।

विषय :– **विभाग अंतर्गत पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी/डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेक्निकल ऑफिसर /पशुधन सहायक /सांख्यिकी/लिपिक/चालक/ मछुआ/ मिश्रक/कार्यालय परिचारी आदि संवर्ग के अराजपत्रित पदाधिकारियों/ कर्मियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है विभाग अंतर्गत पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी/डेयरी फिल्ड ऑफिसर/डेयरी टेक्निकल ऑफिसर/पशुधन सहायक/सांख्यिकी/ लिपिक /चालक /मछुआ/ मिश्रक/ कार्यालय परिचारी आदि संवर्ग के अराजपत्रित पदाधिकारी/ कर्मी, जिनका मुख्यालय एक ही जिला में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण हो गया है अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित, पति–पत्नी जो एक ही विभाग के नियंत्राधीन हो आदि के स्थानांतरण/पदस्थापन पर विचार किया जा रहा है। उक्त सरकारी सेवकों के विकल्प संबंधित विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर तैयार किया गया है।

अतः इस संबंध में निम्नवत निदेश जारी किया जाता है :–

1. निम्न मामलों में यथासंभव प्राथमिकता दी जायेगी। यथा–दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित।
2. यथासंभव पति–पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।
3. विकल्प के रूप में दिये गये पाँच विकल्प में न्यूनतम दो अलग–अलग जिला चयनित कर उपलब्ध करायेंगे। जिस जिले में पदस्थापन है एवं गृह जिला को छोड़कर। गृह जिला का निदेश कार्यालय परिचारी के मामले में लागू नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

4. यदि पदाधिकारी/कर्मी द्वारा पाँच विकल्प अंकित नहीं किये जाते हैं, तो उनके द्वारा भरे गये आवेदन पर अंतिम निर्णय करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

5. पूर्व में वैसे सरकारी सेवक, जिनको बिना किसी कारण के गृह जिला में पदस्थापन किया गया है, उनको भी इसके तहत विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा।

6. पदाधिकारी/कर्मी को विहित प्रपत्र में पूरा पदनाम स्थान सहित अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

7. विहित प्रपत्र में अंकित पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन के आलोक के कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के अनुसार अंतिम निर्णय लेने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

8. इसके आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति/अनापत्ति मान्य नहीं होगी।

9. यह एक One Time Activity है। इसे किसी भी परिस्थिति में विभागीय नीति नहीं माना जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इच्छुक/संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपर्युक्त वर्णित विकल्प एवं अन्य जानकारी के संबंध में सूचना विभागीय वेबसाईट (http://state.bihar.gov.in/ahd/) पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से अपना–अपना आवेदन दिनांक–23.06.2026 अपराह्न 04:00 बजे तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 35/2026 – 3137 / पटना – 15, दिनांक – 19/06/2026

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा तीनों निदेशालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

19.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner